# न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

## पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 214 / 2024

| वादी | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. वेनाराम पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी बगड़ी नगर तह0 सोजत जिला पाली राज0। | | 01. कुकी देवी पत्नी देवा जाति जाट निवासी बगड़ी नगर तह0 सोजत जिला पाली।<br>02. चेतनराम पुत्र देवा जाति जाट निवासी बगड़ी नगर तह0 सोजत जिला पाली।<br>03. नेमा पुत्र गिरधारी जाति जाट निवासी बगड़ी नगर तह0 सोजत जिला पाली।<br>04. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली राज0। |

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता वादी उपस्थित।

–: निर्णय :– दिनांक – 25/03/2025

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा बगड़ी चक द्वितीय, तहसील सोजत के वर्तमान खाता सं0 441 के खसरा नम्बर 4709, 4710, 4714, 4717, 4718, 4719, 4721, 4722, 4723, 4724 कुल खसरा 10 कुल रकबा 9.6600 हैक्टर, ख.नं. 4716 रकबा 1.3500 है0 की वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। उक्त भूमि का वादी द्वारा बाई मिट्स एण्ड बंटवाडा चाहा गया है। प्रकरण में प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा दिनांक 22.01.2025 को बाद सुनवाई वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक/रीडर/2025/408 दिनांक 17.03.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया, जो सा0मि0 है। प्राप्त विभाजन पर अनुसार वादी अधिवक्ता द्वारा निर्णय पारित कर डिक्री जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता वादी को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 24.02.2025 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

## —: आदेश :—

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 24.02.2025 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा बगड़ी चक द्वितीय, तहसील सोजत के वर्तमान खाता सं0 441 के खसरा नम्बर 4709, 4710, 4714, 4717, 4718, 4719, 4721, 4722, 4723, 4724 कुल खसरा 10 कुल रकबा 9.6600 हैक्टर, ख.नं. 4716 रकबा 1.3500 है0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का बंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है —

01 ग्राम बगड़ी चक द्वितीय में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः—

| क्र.स. | नाम खातेदार | ख0सं0 | रकबा | किस्म |
|---|---|---|---|---|
| 1. | वेनाराम पुत्र गोमाराम हि0 1/2 जाति—जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा— 1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर शाखा बगड़ी | 4719<br>4723<br>4724<br>4716 | 0.50<br>1.22<br>1.98<br>1.35 | चा.दो.<br>चा.दो.<br>चा.दो.<br>चा.दो. |
| | | 04 | 5.05 | — |
| 2. | कुकीदेवी पत्नि देवा हिस्सा—1/8 जाति—जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा— 1/8 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर शाखा बगड़ी<br>चेतनराम पुत्र देवा हिस्सा—1/8 जाति—जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा— 1/8 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर शाखा बगड़ी<br>नेमा पुत्र गिरधारी हिस्सा—1/4 जाति—जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा— 1/4 (पूर्ण खाता) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा सोजत, राजस्थान। | 4709<br>4710<br>4721<br>4722<br>4714 | 0.69<br>1.35<br>0.62<br>1.63<br>1.53 | जा.दो.<br>जा.दो.<br>चा.दो.<br>चा.दो.<br>चा.दो. |
| | | 05 | 5.82 | — |
| 3. | वेनाराम पुत्र गोमाराम हि0 1/2 जाति—जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा— 1/2 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर शाखा बगड़ी<br>कुकीदेवी पत्नि देवा हिस्सा—1/8 जाति—जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा— 1/8 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर शाखा बगड़ी<br>चेतनराम पुत्र देवा हिस्सा—1/8 जाति—जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा— 1/8 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं जयपुर शाखा बगड़ी<br>नेमा पुत्र गिरधारी हिस्सा—1/4 जाति—जाट सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा— 1/4 (पूर्ण खाता) आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा सोजत, राजस्थान। | 4717<br>4718 | 0.01<br>0.13 | गै.मु. बेरा<br>गै.मु. सड़ा |
| | | 02 | 0.14 | — |

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 25/03/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)